

>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table. Shri Ghulam Nabi Azad.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI GHULAM NABI AZAD):

Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Water Development Agency, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Water Development Agency, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10927/15/14)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Medical Council of India, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Medical Council of India, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 10928/15/14)

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निरंजन ईशिंग):** सभापति महोदय, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 10929/15/14)

(3) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन, फोरकारिस्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन, फोरकारिस्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 10930/15/14)

(5) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 10931/15/14)

(7) (एक) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बेंगलूरू के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बेंगलूरू के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 10932/15/14)

(9) (एक) श्री चित्ता तिरुनल इंस्टीट्यूट, फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्ता तिरुनल इंस्टीट्यूट, फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 10933/15/14)

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनीग ईरिंग):** सभापति महोदय, श्री पूफुल पटेल की ओर से, मैं वर्ष 2012-2013 के लिए पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे (वोल्यूम I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(Placed in Library, See No. LT 10934/15/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

- (i) The Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2014 published in Notification No. File No. L-1/132/2013/CERC in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> January, 2014.
- (ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. File No. L-1/(5)/2013/CERC in Gazette of India dated 14<sup>th</sup> November, 2013.
- (iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) (Second Amendment) Regulations, 2013

published in Notification No. File No. L-1/12/2010-CERC in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> July, 2013.

- (iv) The Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Second Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. File No. L-7/143/158/2012-CERC in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> September, 2013.
  - (v) The Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Second Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. File No. L-7/105(121)/2007-CERC in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> September, 2013.
  - (vi) Notification No. L-1/44/2010-CERC published in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> August, 2013, containing corrigendum to the Notification No. L-1/44/2010-CERC dated 24<sup>th</sup> November, 2011.
- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item (ii) to (vi) of (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 10935/15/14)

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 182 of the Electricity Act, 2003:-

- (i) The Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Conduct of Business) Second amendment Regulations, 2013 published in Notification No. JERC-1/2009 in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> October, 2013.
- (ii) The Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & UTs (Electricity Supply Code) Second Amendment Regulations, 2013 published in Notification No. JERC-11/2010 in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> October, 2013.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 10936/15/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI ADHIR CHOWDHURY): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 146(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> January, 2014, winding up the Commission of Inquiry consisting of Mr. Justice S. Sagir Ahmad, Retired Judge, Supreme Court of India under sub-section (3) of Section 12 of the Commission of Inquiry Act, 1952.

(Placed in Library, See No. LT 10937/15/14)

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निजोग ईशिंग):** सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो)) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 10938/15/14)

---